संख्या-630/22-4-2010-22/99

प्रेषक,

सत्य प्रकाश पंखा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उ0प्र0 लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ:दिनांक-31 मार्च, 2010

विषयः- वाहन क्रय के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-8133/बजट-09-10 (पुनर्विनियोग) दिनांक-23.3.2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2009-2010 में अनुदान संख्या-25 के लेखाशीर्षक 2052 एवं लेखाशीर्षक 2056 के अन्तर्गत संलग्न विवरण में उल्लिखित विभिन्न मदों में उपलब्ध बचतों की धनराशि रु0-60,76,000.00 (रूपये साठ लाख छियत्तर हजार मात्र) के सापेक्ष पुनर्विनियोग से कारागार मुख्यालय/प्रशिक्षण संस्थान के निष्प्रयोज्य 04 वाहनों {01 एम्बेसडर कार(यूपी 32 एन-4249), 02 मारूति जिप्सी यूपी 32 बी-7436, यूपी 32 डी-6511, 01 जीप (यूपी 32 एन-4213)} के स्थान पर 04 वाहन (01 एम्बेसडर कार एवं 03 हार्ड टाप जिप्सी) एवं लखनऊ में निर्मित कारागारों के उपयोगार्थ 06 वाहन (02 बस 52 सीटर, 01 बस 24 सीटर, 03 एम्बूलेंस) के क्रय किए जाने हेतु क्रमशः रु0-18,06,000.00 एवं रु0-42,29,000.00 अर्थात कुल रु0-60,35,000.00 (रूपये साठ लाख पैंतिस हजार मात्र) की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं।

(1) वाहन क्रय डी0जी0एस0एण्ड डी0 की दरों पर शासन द्वारा निर्गत सुसंगत नियमों/निर्देशों विशेष रूप से नये वाहनो के क्रय विषयक परिवहन अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-3552-टी /30-4-86-1-जे0बी0- 78दि0-12.11.86 एवं शासनादेश संख्या-3264टी./30-4-8-के.एम./87दि0- 11अगस्त, 1989 के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) वर्तमान वित्तीय वर्ष में भारत सरकार/डी0जी0एस0एण्डडी0 द्वारा मोटर वाहनों की कीमत/दरों में किसी आदेश द्वारा यदि कमी/संशोधन किया है, तो इसकी जानकारी महानिरीक्षक, कारागार द्वारा की जायेगी और तद्नुसार कम/संशोधित दरों के अनुसार आपूर्तिकर्ता फर्म को भुगतान करने हेतु वास्तविक धनराशि ही आहरित की जायेगी ।

(3) महानिरीक्षक, कारागार वाहन क्रय करते समय इस बात का समुचित रूप से विचार करके आकलन कर लेंगे कि डी0जी0एस0एण्डडी0 के रेट कान्ट्रेक्ट पर उपलब्ध वाहन में से कौन सा वाहन उनकी आवश्यकता और मितव्ययिता की दृष्टि से उपयुक्त है और तदनुसार ही क्रय सुनिश्चित करेंगे।

PTO

(4) क्रय की कार्यवाही पूर्ण होने पर महानिरीक्षक, कारागार द्वारा इसकी सूचना शासन को उपलब्ध कराई जायेगी ।

(5) प्रश्नगत वाहनो का क्रय समस्त सुसंगत नियमो में विहित प्रक्रिया का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

(6) इन शर्तो का अनुपालन महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं एवं कारागार मुख्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक सुनिश्चित करेंगे और इन शर्तो में किसी प्रकार के विचलन के लिए वे उत्तरदायी होंगे।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-25 के अर्न्तगत लेखा शीर्षक "2056-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-मुख्य-14-कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियों का क्रय" एवं "2056-101-जेल-03-समस्त कारागार-14-कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियों का क्रय" के नामे डाला जायेगा तथा संलग्नक में उल्लिखित विवरण के अनुसार अनुदान संख्या-25 के विभिन्न लेखा शीर्षकों में होने वाली संभावित बचतों से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या ई-12-867/दस-2010 दिनांक-31.03.2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(सत्य प्रकाश पंखा)
अनु सचिव।

संख्या-630(1)/22-4-2010-तद् दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/आडिट प्रथम,उ.प्र.,इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
4- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सत्य प्रकाश पंखा)
अनु सचिव।